2012:CGHC:3609-DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1144 वर्ष 2012

याचिकाकर्तागण रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भिलाई एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायामूर्ति

माननीय न्यायामूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

मै सहमत हूं

सही/-
आर. एस. शर्मा
न्यायामूर्ति

प्रकरण को आदेश के उद्घोषणा हेतु दिनांक 06 अगस्त, 2012 को सूचीबद्ध किया जाए।

सही/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्याय पीठ :- माननीय न्यायामूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री, तथा
माननीय न्यायामूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा. न्यायाधीशगण

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1144 वर्ष 2012

याचिकाकर्तागण	:	रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भिलाई एवं अन्य
	बनाम	
उत्तरवादीगण	:	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका)

उपस्थित:-
श्री राजेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सुनील ओटवानी, श्री ऋषभ संचेती, श्री टी.के. खड़का एवं सुश्री हमीदा सिद्दीकी, अधिवक्तागण, याचिकाकर्ताओं की ओर से।
श्री संजय के. अग्रवाल, महाधिवक्ता, श्री ए.एस. कच्छवाहा, उप महाधिवक्ता तथा श्री अपूर्व कुरूप, अधिवक्ता, राज्य की ओर से।
श्री राकेश श्रौती, अधिवक्ता, श्री अनुमेह श्रीवास्तव, अधिवक्ता के साथ, प्रतिवादी क्रमांक 5 की ओर से।
श्री एस.एस. राजपूत, अधिवक्ता, प्रतिवादी क्रमांक 6 एवं 7 की ओर से।

(आदेश 06 अगस्त, 2012 को उद्घोषित किया गया)

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति के अभिमत से

1. इस याचिका में छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग स्नातक प्रवेश नियम, 2012 (संक्षेप में "प्रवेश नियम, 2012") के नियम 2.4 की वैधानिकता एवं वैधता को चुनौती दी गई

है, जिसे दिनांक 03.04.2012 को अधिसूचित किया गया (परिशिष्ट पी-12)। उक्त नियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कोटा, अन्य राज्य कोटा तथा प्रबंधन कोटा संबंधी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है तथा यह उपबंधित किया गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में 50% सीटें अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों से भरी जाएँगी तथा शेष सीटें योग्यता (मेरिट) के आधार पर भरी जाएँगी। 10% सीटें ए.आई.ई.ई.ई. 2012 कोटा से, केंद्रीय आवंटन के आधार पर भरी जाएँगी। शेष सीटें निजी एवं अनुदानरहित संस्थानों में योग्यता के आधार पर भरी जाएँगी। याचिकाकर्तागण — रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भिलाई एवं अन्य (संक्षेप में "याचिकाकर्ता संस्थान") — ने उत्तरवादीगण के विरुद्ध यह निर्देश देने की भी प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ता संस्थानों के स्वामित्वाधीन एवं प्रबंधित निजी अनुदानरहित व्यावसायिक/प्राविधिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रचलित प्रबंधन कोटा व्यवस्था को यथावत बनाए रखा जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. याचिकाकर्ता संस्थानों द्वारा निवेदन संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता संस्थान विगत अनेक वर्षों से अभियांत्रिकी एवं प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने वाले अभियांत्रिकी महाविद्यालय/संस्थान हैं तथा इन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमोदन भी प्राप्त किया है। याचिकाकर्ता संस्थान छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संक्षेप में "विश्वविद्यालय") से संबद्ध हैं। उपर्युक्त प्रवेश नियम, 2012 के नियम 2.4 (अ) द्वारा, जिसके अंतर्गत प्रबंधन कोटा को समाप्त कर दिया गया है, याचिकाकर्ता संस्थान उससे व्यथित हैं। अतएव, यह याचिका निवेदन की गई है।

3. श्री तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो कि श्री ओटवानी, श्री संचेती, श्री खड़खा एवं सुश्री सिद्दीकी, विद्वान अधिवक्तागण, याचिकाकर्ता संस्थानों की ओर से उपस्थित हैं, निवेदन करते हैं कि प्रवेश नियम, 2012 के जिन प्रावधानों को वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है, वे प्रारंभ से ही शून्य हैं, क्योंकि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार राज्यपाल के नाम से विधिवत् प्रमाणीकरण नहीं किया गया है। अतः, आक्षेपित नियमों को प्रारंभ से ही शून्य घोषित किया जाए।

4. श्री तिवारी आगे निवेदन करते हैं कि ऐसे संस्थानों की समस्त सीटें प्रबंधन की हैं तथा केवल 'स्वैच्छिक' एवं 'सहमति' के आधार पर ही राज्य सरकार के साथ सीटों का साझा किया जा सकता है। संस्थान को यह अधिकार है कि वह छात्रों को एक

निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गैर-शोषणकारी विधि अर्थात् योग्यता (मेरिट) के आधार पर चयन करके प्रवेश प्रदान करे। पूर्व में, छत्तीसगढ़ राज्य तथा संस्थान 75:10:15 के अनुपात में सीटों का विभाजन करते रहे हैं, जिसमें 75 प्रतिशत सीटें पी.ई.टी. (राज्य), 10 प्रतिशत ए.आई.ई.ई.ई. (अखिल भारतीय) तथा 15 प्रतिशत सीटें प्रबंधन द्वारा भरी जाती रही हैं।

5. श्री तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, आगे निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता संस्थान राज्य से कोई अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अतः पारदर्शिता, कैपिटेशन शुल्क के निषेध, लाभार्जन के निषेध, शोषणरहित प्रक्रिया तथा योग्यता (मेरिट) के आधार पर चयन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, राज्य को प्रबंधन कोटा को पूर्णतः समाप्त करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि विगत शैक्षणिक सत्र तक प्रबंधन कोटा के अंतर्गत 15% तक प्रवेश, विधिवत् चयन प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर, उपलब्ध था। दंत चिकित्सा संस्थानों को प्रबंधन कोटा की अनुमति प्रदान करना तथा याचिकाकर्ता संस्थानों, जो कि प्राविधिक/अभियांत्रिकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, को ऐसी अनुमति न देना, भेदभावपूर्ण है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आगे यह भी तर्क निवेदन किया गया है कि प्रबंधन कोटा को समाप्त करना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य***[1], ***पी.ए. इनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य***[2] *तथा* ***मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य***[3] के प्रकरणों में प्रदत्त सुव्यवस्थित न्यायिक निर्णयों के प्रतिकूल है।

6. श्री तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, यह भी निवेदन करते हैं कि यदि योग्यता के आधार पर विधिवत् चयन के बिना अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने का कोई आरोप हो अथवा शिक्षा की उत्कृष्टता बनाए नहीं रखी जा रही हो, तो राज्य संबद्धता की वापसी अथवा संस्थान की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा कर सकता है, परंतु वह संस्थान के प्रबंधन कोटा के अंतर्गत योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश प्रदान करने के अधिकार को सीमित नहीं कर सकता। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि दुरुपयोग की संभावना मात्र के आधार पर प्रबंधन कोटा को विधिवत् रूप से समाप्त कर दिया जाना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

[1] (2002)8 SCC 481
[2] (2005)6 SCC 537
[3] (2009)7 SCC & (2012)4 SCC 707

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. दूसरी ओर, श्री अग्रवाल, विद्वान महाधिवक्ता, जो कि श्री कच्छवाहा, विद्वान उप महाधिवक्ता तथा श्री कुरुप, विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित हैं, ने निवेदन किया हैं कि छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (संक्षेप में "अधिनियम, 2008") की धारा 6 एवं 7 के प्रावधानों को चुनौती दिए बिना, प्रवेश नियम, 2012 के प्रावधानों को चुनौती देना विधि अनुसार पोषणीय नहीं है।

8. श्री अग्रवाल, आगे यह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता संस्थानों को प्रबंधन कोटा संबंधी कोई मूलभूत अधिकार प्राप्त नहीं है तथा आक्षेपित प्रवेश नियम, 2012 को अधिनियम, 2008 की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विरचित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि नियम, 2012 को किसी अन्य आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता, अपितु केवल उसी स्थिति में जब संबंधित विधि किसी मूलभूत अधिकार का अपहरण या संकुचन करती हो अथवा किसी अन्य संवैधानिक उपबंध का उल्लंघन करती हो तथा संबंधित विधायिका को उक्त विधि बनाने की विधायी क्षमता प्राप्त न हो। यह तर्क निवेदन किया गया है कि वस्तुतः नियमों का निर्माण अधिनियम, 2008 की धारा 3(6) के अधीन नहीं, जैसा कि प्रवेश नियम, 2012 में उल्लेखित है, अपितु अध्याय-III के अधीन किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्री अग्रवाल आगे यह निवेदन करते हैं कि नियम 2.4 (अ) निजी अनुदानरहित गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों एवं राज्य के मध्य प्रबंधन कोटा के संबंध में एक सहमति-आधारित व्यवस्था थी, जिसका पालन पूर्ववर्ती वर्षों में किया जाता रहा है। अतः, वर्ष 2012 में उक्त व्यवस्था को बाद में संशोधित नहीं किया जा सका, तथा उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकारी में नहीं आ सकता।

10. श्री अग्रवाल अंततः निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता संस्थानों को किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूलता का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि बारहवीं कक्षा के अंकों की पात्रता आवश्यकता समान है तथा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा अनुशंसित शुल्क भी समान है। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों का चयन समान कट-ऑफ अंकों के साथ समान सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है, अतः याचिकाकर्ता संस्थानों को कोई पूर्वाग्रह कारित नहीं हुआ है। भूतकाल में संस्थानों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं, अतः प्रबंधन कोटा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों, जैसे— बी.फार्मा, डी.फार्मा, डिप्लोमा

इन इंजीनियरिंग, एम.बी.ए., एम.सी.ए.; शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों, जैसे— बी.एड., डी.एड.; तथा चिकित्सकीय व्यावसायिक शिक्षा, जैसे— आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) में प्रबंधन कोटा का कोई प्रावधान नहीं है।

11. अपने कथनों के समर्थन में, श्री अग्रवाल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***भारतीय चिकित्सा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य[4], सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ एवं अन्य[5], टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन (उपर्युक्त) तथा पी.ए. इनामदार (उपर्युक्त)*** के प्रकरणों में प्रदत्त निर्णयों पर अवलंब लिया गया है।

12. श्री श्रौती, विद्वान अधिवक्ता, जो कि श्री श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 5 -विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित हैं, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निवेदन तर्कों को अंगीकृत करते हुए निवेदन करते हैं कि यदि प्रबंधन कोटा के अंतर्गत प्रवेशित छात्र, प्रबंधन के अतिरिक्त अन्य कोटा के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों की अपेक्षा कम योग्यता (मेरिट) वाले हों, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची से संस्थानों की 100% सीटें भरे जाने का निर्णय न्यायोचित एवं उचित है।

13. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निवेदन परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया है तथा पक्षकारो के उपलब्ध अभिवचनो एवं उससे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

प्रवेश नियम, 2012 के प्रावधानों की वैधानिकता:

14. छत्तीसगढ़ विधानमंडल ने राज्य छत्तीसगढ़ में निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के विनियमन तथा शुल्क के निर्धारण का उपबंध करने एवं व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम, 2008 (क्रमांक 11 वर्ष 2008) लागू किया।

15. अधिनियम 2008 की धारा 2(ब), में यह उपबंधित है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान केंद्रीय अधिनियम अथवा छत्तीसगढ़ अधिनियम के अधीन स्थापित किसी

[4] (2011) 7 SCC 179
[5] (2012) 6 SCC 1

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी अनुदानरहित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होंगे।

16. अधिनियम, 2008 की धारा 3(द) में 'सामान्य प्रवेश परीक्षा' की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है :

> "(द) 'सामान्य प्रवेश परीक्षा' से अभिप्राय ऐसी प्रवेश परीक्षा से है, जो अभ्यर्थियों की योग्यता के निर्धारण हेतु आयोजित की जाती है तथा व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थानों में मेरिट आधारित प्रवेश के उद्देश्य से राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से केंद्रीकृत परामर्श के पश्चात् संपादित की जाती है।"

17. अधिनियम, 2008 का अध्याय-III प्रवेश से संबंधित है। धारा 6 एवं 7 निम्नानुसार हैं :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "6. **सामान्य प्रवेश परीक्षा** — निजी अनुदानरहित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान में स्वीकृती प्रवेश क्षमता में प्रवेश, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
>
> 7. **प्रवेश** — प्रत्येक प्रवेश, निजी अनुदानरहित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान में, अधीनस्थ नियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा तथा उसके प्रतिकूल किया गया प्रत्येक प्रवेश शून्य होगा।"

18. अधिनियम, 2008 की धारा 12 नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, जो निम्नानुसार है :

> "12. **नियम बनाने की शक्ति** — राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने हेतु नियम बना सकेगी।"

19. राज्य सरकार ने कथित रूप से अधिनियम की धारा 3(6) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों के प्रयोग में प्रवेश नियम, 2012 का विरचित किया, जिसमें यह उपबंधित किया गया कि प्रबंधन कोटा नहीं होगा। नियम 2.4 (अ) निम्नानुसार है :-

"2.4 (अ) प्रवेश हेतु सीटों के बटवारे का प्राथमिकता क्रम पिछले वर्ष विभिन्न संस्थाओं हेतु निर्धारित 3 प्रकार के कोटा (1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CG Quota) (2) अन्य राज्य कोटा (Other State Quota) एवं (3) मैनेजमेंट कोटा (Mngt. Quota) की व्यवस्था को इस वर्ष से समाप्त किया जाता है। अब किसी भी संस्था में कोई कोटा निर्धारित नहीं है। अल्पसंख्यक संस्थाओं में निर्धारित 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश संस्था स्तर पर होगा। शेष सीटों पर तथा अन्य संस्थाओं में स्वीकृत समस्त सीटों पर प्रवेश हेतु प्राथमिकता निम्नानुसार रहेगा।

1. सबसे पहले AIEEE 2012 के आधार पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को निजी एवं स्वशासी संस्थाओं के अधिकतम 10 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हेतु केन्द्रीय आबंटन किया जाएगा। सीट रिक्त रहने पर रिक्त सीटों को छ.ग. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से PET 2012 के माध्यम से भरा जाएगा।

2. इसके पश्चात् शासकीय संस्थाओं के 100 प्रतिशत सीटों एवं निजी तथा स्वशासी संस्थाओं के 90 प्रतिशत सीटों तथा उपरोक्तानुसार शेष रह गई सीटों को छ. ग. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से पी. ई.टी. 2012 की मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु केन्द्रीय आबंटन किया जाएगा।

3. तत्पश्चात् सीट रिक्त रहने पर छ.ग. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को PET/AIEEE 2012 के मेरिट के आधार पर सीट आबंटन किया जाएगा।

4. इसके पश्चात भी सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को PET/AIEEE 2012 के मेरिट के आधार पर सीट आबंटन किया जाएगा।"

20. यह उल्लेखनीय है कि प्रवेश नियम, 2012, जिन्हें विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार अधिनियम, 2008 की धारा 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विरचित किया गया था, उन्हें राज्यपाल के आदेश से एवं उनके नाम में, अपेक्षित रूप से,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विधिवत् प्रमाणीकरण नहीं किया गया। उक्त तथाकथित नियम, जो दिनांक 03.04.2012 को अधिसूचित किए गए, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप सचिव द्वारा हस्ताक्षरित थे, परंतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(2) के अधीन अनिवार्य प्रावधानानुसार राज्यपाल के नाम में विधिवत् प्रमाणीकरण नहीं किया गया था। अतएव, प्रवेश नियम, 2012 को वैध वैधानिक नियम नहीं माना जा सकता, जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उक्त नियम अधिनियम, 2008 की धारा 6 एवं 7 के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विरचित किए गए हैं।

21. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन यह है कि अधिनियम, 2008 की धारा 6 एवं 7 के प्रावधानों को चुनौती दिए बिना नियम, 2012 को चुनौती नहीं दी जा सकती, यह तर्क स्वीकारोक्ति योग्य नहीं है। यदि नियम संविधान में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप विरचित नहीं किए गए हैं, तो वे दूषित पुर्णित हो जाते हैं। अधिनियम, 2008 की धारा 6 एवं 7 की वैधानिकता को चुनौती देना आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अधिनियम, 2008 की धारा 4(1), 4(8), 9, 12 एवं 13 की वैधानिकता को ***दिशा एजुकेशन सोसायटी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य***[6] तथा अन्य संबद्ध प्रकरणों में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार करने के उपरांत उपर्युक्त प्रावधानों की वैधानिकता को कायम रखा तथा उन्हें संविधान के अनुरूप घोषित किया। दिशा एजुकेशन सोसायटी (उपर्युक्त) में अधिनियम, 2008 की धारा 6 एवं 7 की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी, तथा वर्तमान याचिका में भी उपर्युक्त प्रावधानों को चुनौती नहीं दी गई है; अतः इस याचिका में उक्त प्रावधानों की वैधता का परीक्षण करना आवश्यक नहीं है।

23. अधिनियम, 2008 के अंतर्गत धारा 3(6) का कोई प्रावधान नहीं है। नियम अधिनियम, 2008 की धारा 12 के अधीन अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी करने हेतु बनाए जा सकते हैं। यद्यपि, यदि नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग हेतु उपयुक्त धारा का उल्लेख नहीं भी किया गया हो, तो भी नियमों को वैध माना जा सकता है, क्योंकि राज्य को अधिनियम, 2008 की अन्य धाराओं, अर्थात् धारा 12 के अधीन, नियम बनाने की विधिक क्षमता प्राप्त है। तथापि, प्रवेश नियम, 2012 को संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप विरचित नहीं किया गया, जैसा कि अधोलिखित रूप

---
[6] W.P.(C) NO.2112 of 2010 (Decided on 13.12.2010)

से स्पष्ट किया गया है। अतः उन्हें प्रत्यायोजित विधायन के वैध हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

24. राज्य सरकार द्वारा विरचित गए समस्त नियम अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यपालिका निर्देश, संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अनुसार, राज्यपाल के नाम में अभिव्यक्त किए जाने चाहिए, क्योंकि उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संपादन हेतु नियम बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। यदि वैधानिक नियमों के निर्माण अथवा आदेश की कार्यवाही, अनुच्छेद 166 के अनुसार विधिवत् प्रमाणीकरण नहीं की गई हो, तो उसे वैधानिक नहीं माना जा सकता। अतः अधिनियम, 2008 की धारा 12 के अधीन प्रदत्त प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 166(2) के अधीन विधिवत् प्रमाणीकरण के पश्चात् ही किया जाना अपेक्षित है।

25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(1) में स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम में अभिव्यक्त की जाएगी। अतः नियमों का निर्माण, जो राज्य सरकार की ओर से की गई कार्यपालिका कार्रवाई है, राज्यपाल के नाम में ही किया जाना अनिवार्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

26. वर्तमान प्रकरण में, नियम, 2012 को अधिनियम, 2008 की धारा 3(6) के अधीन निर्मित दर्शाया गया है, जबकि उक्त अधिनियम में ऐसी कोई धारा विद्यमान नहीं है। सही प्रावधान धारा 12 है। यद्यपि यह मान भी लिया जाए कि राज्य को धारा 3(6) के अधीन नहीं, अपितु अधिनियम, 2008 की धारा 12 के अधीन नियम विरचित करने की शक्ति प्राप्त है, तथापि नियमों को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राज्यपाल के आदेश से एवं उनके नाम में ही निर्मित एवं निर्गत किया जाना आवश्यक है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी नियम, जो संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करता है, असंवैधानिक होता है।

27. ***सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाम रवि शंकर श्रीवास्तव, आई.ए.एस. एवं अन्य***[7] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिसूचना की वैधनिकता पर विचार करते हुए यह अभिलक्षित किया कि उक्त अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 166 की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है; अतः उसे वैध अधिसूचना नहीं माना जा सकता।

---
[7] (2006) 7 SCC 188

28. **शांति स्पोर्ट्स क्लब एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**[8] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिलक्षित किया :

> "41. इस विषय पर एक अन्य दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार तथा किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, यथास्थिति, राष्ट्रपति अथवा संबंधित राज्य के राज्यपाल के नाम में की जानी आवश्यक है (अनुच्छेद *77*(1) एवं 166(1))। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम में निर्मित एवं निष्पादित आदेश तथा अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट रीति से किया जाना आवश्यक है (अनुच्छेद *77*(2) एवं 166(2))। अनुच्छेद *77*(3) यह उपबंधित करता है कि :
>
> > "*77*(3) राष्ट्रपति, भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक लेन-देन तथा उक्त कार्यों का मंत्रियों के मध्य आवंटन करने के लिए नियम बनाएंगे।"
>
> इसी प्रकार, अनुच्छेद 166(3) यह उपबंधित करता है :
>
> > "166(3) राज्यपाल, राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक लेन-देन तथा उक्त कार्यों का मंत्रियों के मध्य आवंटन करने के लिए नियम बनाएंगे, सिवाय उन कार्यों के संबंध में जिनके विषय में राज्यपाल को इस संविधान द्वारा या उसके अधीन अपने विवेकानुसार कार्य करना अपेक्षित है।"
>
> 42. इसका अभिप्राय यह है कि जब तक कोई आदेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम में व्यक्त न किया जाए तथा नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रमाणीकरण न किया जाए, तब तक उसे सरकार की ओर से पारित आदेश नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[8] (2009) 15 SCC 705

29. उत्तरवादी राज्य ने दिनांक 15.04.2008 की अधिसूचना की प्रति अभिलेख पर निवेदन की है, जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी की गई थी, जिसे "प्रवेश नियम, 2008" कहा गया है तथा जिसे मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विनिर्मित किया गया था। उक्त नियम राज्यपाल के आदेश से एवं उनके नाम में विधिवत् प्रमाणीकरण किया गया था। वर्तमान प्रकरण में, जो कि प्रश्नाधीन है, को राज्य सरकार के एक ज्ञापन के रूप में ही माना जा सकता है, क्योंकि उसका विधिवत् प्रमाणीकरण नहीं किया गया है।

30. अधिनियम, 2008 के प्रावधान राज्य सरकार को नियम निर्माण की शक्ति प्रदान करने का स्रोत हैं, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीति से प्रयोग की जानी अपेक्षित है। यदि अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रक्रिया विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, तो नियमों का निर्माण विधि के सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है; अर्थात् इस प्रकार विनिर्मित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31. संविधान पीठ ने ***बच्छित्तर सिंह बनाम पंजाब राज्य***[9] के प्रकरण में निम्नानुसार अभिलक्षित किया :

> "8. ... संविधान के अनुच्छेद 166(1) में यह अपेक्षित किया गया है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम में व्यक्त की जाएगी। अनुच्छेद 166(2) आदेशों एवं अन्य लिखतों, जो राज्यपाल के नाम में निर्मित एवं निष्पादित किए गए हों, के प्रमाणीकरण का प्रावधान करता है। उक्त अनुच्छेद का खंड (3) राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संव्यवहार तथा उक्त कार्यों का मंत्रियों के मध्य आवंटन करने हेतु नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है..."

32. उत्तरवादी क्रमांक 5/विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह प्रतिवाद कि यदि याचिकाकर्ता संस्थानों को प्रबंधन कोटा के अंतर्गत छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न हो सकती है, स्वीकारोक्ति योग्य नहीं है। इस संबंध में विधि सुव्यवस्थित है कि

---
[9] AIR 1963 SC 395 10

किसी प्रावधान के प्रशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा उसके दुरुपयोग की मात्र संभावना, उस प्रावधान को प्रक्रियात्मक या सारभूत रूप से अयुक्तिसंगतठहराने का आधार नहीं बन सकती। (देखें : ***मफतलाल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य***[10])।

<u>विषय-वस्तु के आधार पर :</u>

33. टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (उपर्युक्त) के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के 11 माननीय न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, अल्पसंख्यकों तथा अनुदानरहित संस्थानों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं उनका प्रशासन करने के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में, निम्नानुसार अभिलक्षित किया :

> "48. इक्कीसवीं शताब्दी के आरंभ में निजी शिक्षा, उच्चतर माध्यमिकोत्तर शिक्षा के सर्वाधिक गतिशील एवं तीव्र गति से विकसित होने वाले क्षेत्रों में से एक है। उच्च शिक्षा तक पहुँच की अभूतपूर्व मांग तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करने में सरकार की असमर्थता अथवा अनिच्छा के परिणामस्वरूप निजी उच्च शिक्षा अग्रणी भूमिका में आ गई है। अनेक देशों में दीर्घ इतिहास रखने वाले निजी संस्थान अपने कार्यक्षेत्र एवं संख्या में विस्तार कर रहे हैं तथा विश्व के उन भागों में, जहाँ लगभग पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता रही है, वे निरंतर अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।"

> "49. न केवल शिक्षा उपलब्ध कराने की सरकारों की क्षमता पर मांग का अत्यधिक दबाव पड़ा है, अपितु उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। शैक्षणिक उपाधि को समाज के लिए 'सार्वजनिक हित' के बजाय व्यक्ति के लिए 'निजी हित' के रूप में देखने की अवधारणा अब व्यापक रूप से स्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान अर्थशास्त्र की तर्कप्रणाली तथा निजीकरण की विचारधारा ने निजी उच्च शिक्षा के पुनरुत्थान में योगदान दिया है तथा उन स्थानों पर भी निजी संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है, जहाँ पूर्व में ऐसे संस्थान नहीं थे या अत्यल्प थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---
[10] (1997) 5 SCC 536

"50. स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार व्यापक रूप से निम्नलिखित अधिकारों को समाहित करता है :

(क) छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार;
(ख) एक युक्तिसंगत शुल्क संरचना निर्धारित करने का अधिकार;
(ग) एक शासी निकाय का गठन करने का अधिकार;
(घ) शिक्षकीय एवं अशिक्षकीय कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार; तथा
(ङ) कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य में चूक होने की स्थिति में उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार।"

"68. अनुदानप्राप्त एवं अनुदानरहित व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करने हेतु समान नियमों एवं विनियमों का अनुप्रयोग करना अन्यायसंगत होगा। यह स्मरणीय है कि अनुदानरहित व्यावसायिक संस्थान अपने प्रशासन में स्वायत्तता के अधिकारी हैं, यद्यपि वे गुणानुगुण के सिद्धांत का परित्याग नहीं करते। अतः यह विश्वविद्यालय अथवा सरकार के लिए, मान्यता प्रदान करते समय, यह अपेक्षित करना अनुमन्य होगा कि निजी अनुदानरहित संस्थान मेरिट आधारित चयन की व्यवस्था करें, साथ ही प्रबंधन को छात्रों के प्रवेश में पर्याप्त विवेकाधिकार भी प्रदान किया जाए। यह विभिन्न विधियों से किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कुछ प्रतिशत सीटें उन छात्रों में से, जिन्होंने स्वयं अथवा राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया हो, प्रबंधन द्वारा भरी जा सकती हैं, जबकि शेष सीटें राज्य एजेंसी द्वारा परामर्श के आधार पर भरी जा सकती हैं। इससे समाज के निर्धन एवं पिछड़े वर्गों का हित भी परोक्ष रूप से संरक्षित होगा। इस प्रयोजनार्थ प्रतिशत का निर्धारण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सरकार द्वारा किया जाना चाहिए तथा अल्पसंख्यक अनुदानरहित एवं गैर-अल्पसंख्यक अनुदानरहित व्यावसायिक महाविद्यालयों के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत निर्धारित किए जा सकते हैं। यही सिद्धांत अन्य अनुदानरहित, परंतु गैर-व्यावसायिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शैक्षणिक संस्थानों, जैसे— स्नातक एवं स्नातकोत्तर गैर-व्यावसायिक महाविद्यालयों अथवा संस्थानों पर भी लागू हो सकते हैं।"

34. पी.ए. इनामदार (उपर्युक्त) के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय की सात माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (उपर्युक्त) में बहुमत द्वारा पैराग्राफ 68 में किए गए अवलोकनों का विश्लेषण करते हुए यह टिपण्णी किया कि पैराग्राफ 68 का प्रथम भाग बहुमत द्वारा प्रतिपादित विधि है, जबकि द्वितीय भाग केवल उदाहरणार्थ सुझाव मात्र है। पी.ए. इनामदार (उपर्युक्त) के पैरा 110, 118 एवं 121 निम्नानुसार हैं :

"110. इस्लामिक एकेडमी में बहुमत ने (पैरा 12) पैराग्राफ 68 की विषयवस्तु को सात भागों में विभाजित करते हुए पुनः कथित किया है। न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा ने भी उसी पैराग्राफ 68 को पाँच भागों में विभाजित करते हुए पुनः कथित किया है (उनके अभिमत के पैरा 172 में)। तथापि, हमने पैराग्राफ 68 को दो भागों में विभाजित कर पुनरुत्पादित किया है। पाई फाउंडेशन के बहुमत निर्णय को संपूर्णता में पढ़ने पर यह निष्कर्ष समर्थित होता है कि जहाँ पैराग्राफ 68 का प्रथम भाग बहुमत द्वारा प्रतिपादित विधि है, वहीं द्वितीय भाग मात्र उदाहरणस्वरूप एक सुझाव अथवा अवलोकन है कि राज्य किस प्रकार एक संभावित तंत्र विकसित कर सकता है जिससे समाज के निर्धन एवं पिछड़े वर्गों का हित सुरक्षित किया जा सके। पैराग्राफ 68 के द्वितीय भाग को पीठ द्वारा प्रतिपादित विधि के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। वह केवल प्रसंगवश किया गया अवलोकन अथवा एक उदाहरणात्मक स्थिति है, जो सहमति, समझौते अथवा प्रेरणा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।"

"118. पाई फाउंडेशन के निर्णय में इस विषय पर सर्वसम्मति है कि अनुच्छेद 30(1) में प्रयुक्त 'संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार' में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं : (क) छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार; (ख) एक युक्तिसंगत शुल्क संरचना निर्धारित करने का अधिकार; (ग) एक शासी निकाय का गठन करने का अधिकार; (घ) शिक्षकीय एवं अशिक्षकीय कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा (ङ) कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य में चूक होने की स्थिति में उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार। (पैरा 50)"

"121. राज्य, बोर्ड अथवा सक्षम विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता या मान्यता केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि संबंधित संस्था एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। तथापि, संबद्धता या मान्यता की आवश्यकता अथवा आग्रह, विनियमन की अवधारणा को जन्म देता है, जिसके अंतर्गत योग्यता, शैक्षिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने तथा कुप्रशासन की रोकथाम के अनुरूप शर्तें अधिरोपित की जा सकती हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षकों की न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण कर उनकी गुणवत्ता का उपबंध किया जा सकता है तथा अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या निर्धारित की जा सकती है। संस्थान के विकास हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचना का अस्तित्व, मान्यता या संबद्धता प्रदान करने की पूर्वशर्त के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। तथापि, दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप अनुमन्य नहीं है। प्रबंधन के मूल तत्वों में, जिनमें छात्रों का प्रवेश, कर्मचारियों की नियुक्ति तथा वसूल किए जाने वाले शुल्क की मात्रा सम्मिलित है, विनियमन नहीं किया जा सकता। (पैरा 55, पाई फाउंडेशन)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (उपर्युक्त) के पैरा 68 के प्रथम भाग में यह उपबंधित किया गया है कि अनुदानप्राप्त एवं अनुदानरहित व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करने हेतु समान नियमों एवं विनियमों का अनुप्रयोग करना अन्यायसंगत होगा तथा छात्रों के प्रवेश में प्रबंधन को पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। द्वितीय भाग, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने पी.ए. इनामदार (उपर्युक्त) में अभिलक्षित किया है, उन छात्रों में से, जिन्होंने स्वयं अथवा राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया हो, उनमें से प्रबंधन द्वारा कुछ प्रतिशत सीटें भरे जाने तथा शेष सीटें राज्य एजेंसी द्वारा परामर्श के आधार पर भरे जाने से संबंधित है। प्रबंधन हेतु आरक्षित सीटों का प्रतिशत, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति तथा राज्य में उपलब्ध विभिन्न कारकों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, निजी अनुदानरहित संस्थानों में योग्यता (मेरिट) के

आधार पर छात्रों को प्रवेश प्रदान करने का प्रबंधन का अधिकार, विधि के रूप में स्थापित किया गया है। चयन की विधि राज्य, विश्वविद्यालय अथवा प्रबंधन द्वारा, पारस्परिक सहमति से भिन्न-भिन्न हो सकती है।

36. *इंडियन मेडिकल एसोसिएशन* (उपर्युक्त) के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी किया है :

> "101. अतः जो तथ्य उभरकर सामने आता है वह यह है कि यद्यपि यह स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 19(1)(ग) के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपभोग करने वालों के लिए, अनुच्छेद 19(6) के अधीन, अर्हक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित योग्यता का संरक्षण एक पूर्णतः अनिवार्य आवश्यकता है; तथापि, अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रदत्त संरक्षण, उनके अपने अल्पसंख्यक वर्ग के भीतर, अर्हक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के अनुसार चयन करने तक विस्तारित है। यहाँ 'स्रोत' के चयन का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प केवल इस संबंध में है कि संस्था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होगी या गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था। यदि प्रवर्तक यह विकल्प चुनते हैं कि वे एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहते हैं, तो 'स्रोत' तत्क्षण अनुच्छेद 30(1) के द्वारा, तथा यह निर्धारण कि कौन उस अल्पसंख्यक वर्ग में आता है, निश्चित हो जाता है। यह निर्धारण शैक्षणिक संस्था नहीं करती; यह कार्य राज्य करता है, एक संवैधानिक रूप से अधिदिष्ट एवं अनुमन्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए। इस अर्थ में, वहाँ भी 'स्रोत' का निर्धारण राज्य द्वारा ही किया जाता है, ताकि अनुच्छेद 30(1) के संरक्षण वास्तव में उन अल्पसंख्यकों को प्राप्त हों, जिनकी रक्षा राज्य से अपेक्षित थी।"

> "102. परिणामस्वरूप, गैर-अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के मध्य समरूपता स्थापित करने का यह प्रयास, तथा यह प्रतिपादित करना कि अल्पसंख्यक सामान्य समूह के भीतर से अपना कोई 'स्रोत' चुन या निर्मित कर सकते हैं और अतः गैर-अल्पसंख्यकों को भी अपने 'स्रोत' निर्मित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अतार्किक है तथा संविधान एवं व्यावहारिक परिस्थितियों की विचित्र व्याख्या पर आधारित है। गैर-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को यह मूल स्वतंत्रता प्राप्त है कि वे उन छात्रों का चयन करें जो सामान्य प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सर्वाधिक योग्यता वाले हों, उन सीटों की पूर्ति के संदर्भ में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अनुच्छेद 15(5) के अधीन 'सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों' के लिए आरक्षित नहीं हैं। अतः गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रों का चयन केवल सामान्य समूह से, गैर-आरक्षित सीटों के संबंध में, किया जा सकता है। वे अपनी ओर से कोई अतिरिक्त भेद नहीं कर सकते।"

"103. उपर्युक्त के आलोक में हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि गैर-अल्पसंख्यक निजी अनुदानरहित व्यावसायिक महाविद्यालयों को सामान्य समूह के भीतर से अपना पृथक 'स्रोत' चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 30(1) के कारण जो भेद अल्पसंख्यक एवं गैर-अल्पसंख्यक अनुदानरहित संस्थानों के मध्य है, उसके अतिरिक्त, दोनों की समरूपता इस आधार पर है कि वे अनुच्छेद 19(6) के अधीन युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन हैं; न तो अल्पसंख्यक और न ही गैर-अल्पसंख्यक संस्थान अपने शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर व्यावसायिक संस्थानों, का दुरुप्रशासन कर सकते हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो, तथा वे उन स्रोतों के भीतर से, जिनसे चयन का उन्हें अधिकार है, मनमाने ढंग से छात्रों का चयन नहीं कर सकते।"

"104. गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के मामले में, विशेषकर व्यावसायिक संस्थानों में, 'स्रोत' केवल सामान्य समूह ही हो सकता है, तथा चयन उन छात्रों की परस्पर वरीयता क्रम के आधार पर किया जाना चाहिए, जिन्होंने अर्हता प्राप्त की हो तथा ऐसे गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आवेदन या विकल्प चुना हो। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के मामले में, 'स्रोत' को उस विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग तक सीमित किया जा सकता है, जिससे संबंधित वह संस्था है। अन्यथा धारण करना अतार्किक होगा, भले ही यह मान लिया जाए कि अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रदत्त अधिकार पूर्णाधिकार न होकर केवल संरक्षण मात्र है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"105. अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रदत्त संरक्षण अल्पसंख्यक संस्थानों को तब तक प्राप्त है जब तक वे अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखते हैं। यदि गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अपने-अपने स्रोत चुनने की अनुमति दी जाए, तो अल्पसंख्यकों, जिन्हें गैर-अल्पसंख्यकों के समान संरक्षण का आश्वासन प्राप्त है, को भी निश्चय ही वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्रदत्त अतिरिक्त संरक्षण का औचित्य तभी है जब गैर-अल्पसंख्यक संस्थान सामान्य समूह से चयन तक सीमित हों और अल्पसंख्यक अपने ही सीमित अल्पसंख्यक स्रोत से चयन करें। अन्यथा अनुच्छेद 30(1) निरर्थक हो जाएगा।"

"106. परिणामस्वरूप, हम यह धारण करते हैं कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.के. वेणुगोपाल एवं श्री जयदीप गुप्ता द्वारा निवेदन यह तर्क कि ए.सी.एम.एस., एक गैर-अल्पसंख्यक व्यावसायिक संस्था के रूप में, छात्रों के लिए पृथक 'स्रोत' सीमांकित करने का अधिकार रखती है, स्वीकार्य नहीं है। ए.सी.एम.एस. को केवल सामान्य समूह के अंतर्गत से छात्रों का चयन करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, चूँकि इस न्यायालय ने पी.ए. इनामदार में यह पाया है कि इस्लामिक एकेडमी का निर्णय इस उपधारणा में त्रुटिपूर्ण था कि राज्य कोटा एवं प्रबंधन कोटा निर्धारित किए जा सकते हैं, अतः धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) में वर्णित 10% प्रबंधन कोटा को भी संदिग्ध माना जाना होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. यहाँ तक कि , *इंडियन मेडिकल एसोसिएशन* (उपर्युक्त) में भी, जैसा कि उपर्युक्त उद्धृत किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अनुदानरहित निजी संस्थानों को प्रवेश हेतु 'स्रोत' के चयन का अधिकार नहीं है; तथापि, उन्हें गैर-आरक्षित सीटों के संबंध में सामान्य प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों के चयन की मूल स्वतंत्रता प्राप्त है।

38. *सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान (उपर्युक्त)* में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी किया है :

"52. पी.ए. इनामदार में यह धारित किया गया है कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ग) के

अंतर्गत आता है। आगे यह भी धारित किया गया कि व्यावसायिक/उच्च शिक्षा में न्यायनिर्मित योजना के माध्यम से सीट-साझेदारी, सीटों का आरक्षण, कोटा निर्धारण, शुल्क निर्धारण, क्रॉस-सब्सिडीकरण आदि, स्वैच्छिकता, स्वायत्तता, सह-समावेशन तथा प्रति-राष्ट्रीयकरण के सिद्धांतों के आलोक में, अयुक्तियुक्त प्रतिबंध हैं। अंततः, इसने अल्पसंख्यक एवं गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के स्थापना एवं प्रशासन के अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 19(1)(ग), 29(2) एवं 30(1) के पारस्परिक संबंध का भी परीक्षण किया। यहाँ प्रश्न यह है कि उपर्युक्त स्वायत्तता, स्वैच्छिकता, सह-समावेशन तथा प्रति-राष्ट्रीयकरण के सिद्धांतों को किस प्रकार समझा जाए।"

"60. उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में यह उल्लेखनीय है कि *पी.ए. इनामदार* में इस न्यायालय ने यह धारित किया था कि निजी अनुदानरहित महाविद्यालयों में कोई आरक्षण नहीं होगा तथा इस संदर्भ में अल्पसंख्यक एवं गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के मध्य कोई भेद नहीं होगा। तथापि, संविधान (तिरानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन कर अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। परिणामस्वरूप, पी.ए. इनामदार दो आधारों पर अधिक्रमित हो गया : (क) जबकि इस न्यायालय ने पी.ए. इनामदार में कहा था कि निजी अनुदानरहित महाविद्यालयों में कोई आरक्षण नहीं होगा, वहीं संशोधन द्वारा यह डिक्रीत किया गया कि आरक्षण होगा; (ख) जहाँ इस न्यायालय ने पी.ए. इनामदार में कहा था कि अनुदानरहित अल्पसंख्यक एवं गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों में कोई भेद नहीं होगा, वहीं संशोधन द्वारा यह उपबंधित किया गया कि वह उत्तर होगा ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. *मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (उपर्युक्त)* के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी किया :

"12. इस न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ को टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के प्रकरण में यह विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ कि एन.आर.आई. कोटा के अंतर्गत रिक्त सीटों को किस प्रकार

भरा जाए, और इस संबंध में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया : (एस. सी. सी. पृष्ठ 729, कंडिका 3)”

“3. जहाँ तक एन.आर.आई. कोटा का संबंध है, हमने गत वर्ष इसे 15% निर्धारित किया था। अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में एन.आर.आई. कोटा 5% निर्धारित किया गया था। यद्यपि सामान्यतः एन.आर.आई. कोटा 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, तथापि शुल्क संरचना में कमी को दृष्टिगत रखते हुए, हम इस वर्ष के लिए इसे 10% (कुल सीटों का) निर्धारित करते हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि एन.आर.आई. कोटा की कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो उसे प्रबंधन अपने विवेकाधिकार से भर सकता है।” (बल दिया गया)

“18. हमारा विचारित मत है कि एन.आर.आई. सीटों की पूर्ति के संबंध में इस न्यायालय की वृहत्तर पीठों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धांतों को, आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज प्रकरण में, एम.पी. प्रवेश नियम, 2008 के नियम 8 की व्याख्या करते समय, इस न्यायालय द्वारा सही प्रकार से न तो समझाया गया और न ही लागू किया गया। आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज में अभिलिखित यह निष्कर्ष कि अनुदानरहित व्यावसायिक महाविद्यालयों में एन.आर.आई. कोटा की रिक्त सीटों को सामान्य समूह का भाग मानकर राज्य एवं अनुदानरहित व्यावसायिक महाविद्यालयों के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, पाई फाउंडेशन की ग्यारह-न्यायाधीशीय पीठ, इनामदार तथा पूर्व में उल्लिखित पाई फाउंडेशन की तीन-न्यायाधीशीय पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रतिकूल है। आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज में दी गई उक्त त्रुटिपूर्ण व्याख्या को मध्यप्रदेश निजी चिकित्सा एवं दंत स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम, 2011 के नियम 5 में भी समाविष्ट कर लिया गया है, जो हमारे मत में विधिसंगत रूप से स्थिर नहीं रखा जा सकता।”

40. अतएव, उपर्युक्त उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में निहित सामान्य सूत्र यह है कि अनुदानरहित गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों को राज्य, विश्वविद्यालय अथवा किसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्य प्राधिकृत संस्था द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर सामान्य समूह से छात्रों का चयन कर प्रवेश देने का अधिकार प्राप्त है।

41. विद्वान महाधिवक्ता का यह प्रतिवाद कि *मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (उपर्युक्त)* में प्रतिपादित अनुपात वर्तमान प्रकरण में अनुप्रयोज्य है, क्योंकि वह प्रकरण एन.आर.आई. कोटा के अंतर्गत प्रवेश से संबंधित था, स्वीकारोक्ति योग्य नहीं है। एन.आर.आई. कोटा का आधार भी अनुदानरहित गैर-अल्पसंख्यक संस्थान के छात्रों के चयन के अधिकार के मूल सिद्धांत पर ही आधारित था। अतः, प्रबंधन के अपने कोटा के अंतर्गत छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार को, छात्रों के चयन के अधिकार के सिद्धांत के प्रतिकूल समाप्त कर देना खराब एव दूषित है।

42. याचिकाकर्ता संस्थानों ने प्रवेश नियम, 2012 की संपूर्ण संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी है, यद्यपि हमने अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित वैधानिक नियमों अर्थात् प्रत्यायोजित विधायन की वैधता के संबंध में विस्तृत विवेचन किया है। प्रवेश नियम, 2012 का नियम 2.4(अ) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (उपर्युक्त), पी.ए. इनामदार (उपर्युक्त)* तथा अन्य प्रकरणों में प्रतिपादित विधि के अनुरूप नहीं है, जैसा कि पूर्व में कहा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. यह सुव्यवस्थित विधि है कि विधायिका केवल एक साधारण घोषणा द्वारा, बिना किसी अन्य उपबंध के, प्रत्यक्षतः अधिक्रमित किसी न्यायिक निर्णय को अधिक्रमित य उलट नहीं सकती; तथापि, वह संविधान द्वारा प्रदत्त पूर्ण विधायी शक्ति के प्रयोग में, अवैध नियमों का विरचित कर, किसी न्यायिक निर्णय को अप्रभावी बना सकती है। (देखें : *वीरेन्द्र सिंह हुड्डा एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य*[11], पैरा 46)

44. परिणामस्वरूप, प्रवेश नियम, 2012 का नियम 2.4(अ) अभिखंडित किया जाता है। याचिकाकर्ता संस्थानों में प्रवेश पूर्व से प्रचलित प्रणाली के अनुसार जारी रहेंगे।

45. फलस्वरूप, उपर्युक्त सीमा तक यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों को अपने-अपने व्यय वहन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

[11] (2004) 12 SCC 588

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

सही/-
राधे श्याम शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ....Adv. Rahul Krishna Sahu......

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur